भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 685
दिनांक 04 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओमिक्रॉन वेरिएंट

685. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री ए.गणेशमूर्ति:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री मनोज तिवारी:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं तथा अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मौतें दर्ज की गई हैं और कितने रोगी ठीक हुए हैं;

(ख): क्या किए गए अध्ययनों के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिक संक्रामक है, यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और नए वेरिएंट के खिलाफ स्वदेशी टीके की प्रभावशीलता कितनी है;

(ग): क्या सरकार ने नए वेरिएंट की कम घातक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में संशोधन किया है और इस महामारी के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किया है तथा नए वेरिएंट के जीनोम अनुक्रमण के लिए नई प्रयोगशालाएं खोली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ): इस नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन जारी करने और चिकित्सा उपकरणों की सहायता और देश में लॉकडाउन लागू करने जैसे अन्य कड़े उपायों सहित मृत्यु दर को कम करने करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): वर्तमान में देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रभावी वेरिएंट है। दिसंबर, 2021 और जनवरी 2022 माह के दौरान देश में सूचित कोविड-19 मामलों और मौतों की कुल संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा ओमिक्रॉन वेरिएंट में संचरण क्षमता स्पष्ट रूप से काफी अधिक है, जिसके कारण यह समूचे विश्व में परवर्ती वेरिएंट को तेजी से प्रतिस्थापित कर रहा है। उपलब्ध साक्ष्य के

अनुसार, वैक्सीन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को संक्रमित होने, अस्पताल में अपेक्षाकृत कम संख्या में भर्ती होने तथा मरीजों में बीमारी के अपेक्षाकृत कम गंभीर होने में सहायक होती है।

भारत सरकार महामारी के प्रारंभ से ही कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता कर रही है। संचारिता विषाक्तता के संबंध में परिवर्ती प्रभाव वाले उत्परिवर्तित वेरिएंटों के उभरने तथा वैक्सीनों की प्रभावोत्पादकता को स्वीकार करते हुए, देश में कोविड-19 के ग्राफ में बढ़ोतरी की संभावना को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा दूसरे संगत मंत्रालयों/विभागों के तहत विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में तथा विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति पर लगातार बारीक से नज़र बनाए रखता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट की रिपोर्टिंग तथा उसके चिन्तायुक्त वेरिएंट के रूप में वर्गीकरण के साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंर्तराष्ट्रीय आगन्तुकों के लिए अपने दिशानिर्देशों को परिशोधित कर दियाथा। भारत आने वाले सभी अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए, उनके आगमन के 8वें दिन अनिवार्य रूप से प्रस्थान से पूर्व तथा पहुँचने के पश्चात आरटी-पीसीआर जांच तथा 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाइन का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य हितधारक मंत्रालयों/विभागों, जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इत्यादि शामिल है, के साथ समन्वय एवं सहयोग कर रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर विषय विशेषज्ञों सहित सभी संगत हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के लिए तैयारी एवं अनुक्रिया संबंधी उपायों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित क्रियाकलाप करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है:

- समुदाय में अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों को सख्ती से मॉनीटर करना।
- पॉजिटिव पाए व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाना तथा 14 दिन तक उनका फॉलो अप करना।
- पॉजिटिव नमूनों की इंसाकोग प्रयोगशालाओं के माध्यम से तुरन्त जीनोम सीक्वेंसिंग कराना।
- उन क्षेत्रों की रिनन्तर मॉनीटरिंग करना जहां पॉजिटिव मामले अधिक रहे हैं।
- कोविड-19 जांच की बुनियादी अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाना तथा सभी राज्यों में पर्याप्त जांच के माध्यम से मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य अवसंरचना (आईसीयू, ऑक्सीजन समर्थित बिस्तरों, वेंटिलेटरों इत्यादि की उपलब्धता) की तैयारी सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और बाल चिकित्सा मामलों सहित ईसीआरपी-II के तहत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन।
- पर्याप्त संभारतंत्रों एवं औषधियों इत्यादि को सुनिश्चित करते हुए सभी पीएसए संयंत्र स्थापित करना।
- किशोरों (15-18 वर्ष) में कवरेज सहित पात्र जनसंख्या के लिए कोविड-19 टीकाकरण और स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मियों और सह रूग्णता वाले वृद्धजनों के लिए प्रिकाशन खुराक सुनिश्चित करना।
- कोविड समुचित व्यवहार के लिए रूचि सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 28 जून, 2021 के पत्र के द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड-19 की जांच पुष्टि दरों तथा अस्पताल बिस्तर अधिभोग दरों पर आधारित कोविड-19 के संदर्भ में प्रतिबंध लागू

करने अथवा छूट की अनुमति देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए थे। इसे गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा दिनांक 29 जून, 2021 के आदेश के तहत दोहराया गया है।

भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकाग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की जीनोम सिक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय बहु-एजेंसी कंसोर्टियम है, जिसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस समय 52 प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए निरन्तर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। मामलों के समुचित प्रबंधन के लिए विभिन्न नैदानिक दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने के लिए एम्स,दिल्ली तथा भारतीय आयुर्विज्ञान संघ के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उत्कृष्टता केन्द्र पहल के तहत सभी राज्य स्तर के उत्कृष्टता सुविधा केन्द्रों के लिए वेबिनारों की श्रृंखला का आयोजन किया गया था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विरूद्ध तैयारी एवं अनुक्रिया क्षमताओं तथा जन स्वास्थ्य संबंधी अन्य आपातकालीन स्थितियों में वृद्धि करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सहायता उपलब्ध करा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ) तथा आपातकालीन कोविड-19 अनुक्रिया एवं तैयारी पैकेज के माध्यम से वित्तपोषण सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। अनिवार्य औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखने सहित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन के लिए ईसीआरपी चरण-II के तहत 23,123 करोड़ रूपए (15,000 करोड़ रूपए के केन्द्रीय घटक सहित) का पैकेज अनुमोदित किया गया है। 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार इसमें से, मामलों में किसी भी बढ़ोतरी के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीयघटक के रूप में 7245.95 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

अनुलग्नक

दिसंबर, 2021 और जनवरी 2022 माह के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित कोविड 19 मामलों और मौतों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसंबर 2021		जनवरी 2022	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37	0	2,057	0
2.	आंध्र प्रदेश	4,254	54	1,93,512	113
3.	अरुणाचल प्रदेश	66	0	6,743	6
4.	असम	3,865	66	94,022	278
5.	बिहार	519	2,433*	96,315	125
6.	चंडीगढ़	390	259*	23,298	39
7.	छत्तीसगढ	1,218	7	1,15,173	234
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8	0	610	0
9.	दिल्ली	5,515	9	3,81,074	720
10.	गोवा	1,770	137*	57,746	161
11.	गुजरात	3,643	26	3,22,902	320
12.	हरियाणा	1,669	9	1,72,608	223
13.	हिमाचल प्रदेश	1,677	28	41,308	120
14.	जम्मू और कश्मीर	4,486	50	91,708	133
15.	झारखंड	1,754	3	76,926	157
16.	कर्नाटक	10,648	124	7,78,790	615
17.	केरल	1,07,410	7,486*	7,39,014	6,225*
18.	लद्दाख	633	5	3,723	5
19.	लक्षद्वीप	22	0	640	1
20.	मध्य प्रदेश	738	5	1,65,551	83
21.	महाराष्ट्र	35,774	556	10,35,215	1,054
22.	मणिपुर	609	27	7,132	39
23.	मेघालय	356	12	6,067	38
24.	मिजोरम	6,590	49	31,091	64
25.	नागालैंड	82	6	2,150	33
26.	उड़ीसा	5,726	49	1,91,305	136
27.	पुदुचेरी	568	9	31,286	47
28.	पंजाब	1,336	45	1,36,591	570
29.	राजस्थान	1,249	8	2,44,033	282
30.	सिक्किम	269	6	5,597	20
31.	तमिलनाडु	20,693	293	5,79,050	779
32.	तेलंगाना	5,789	35	79,463	61
33.	त्रिपुरा	278	6	15,152	70
34.	उत्तर प्रदेश	972	5	301,964	274
35.	उत्तराखंड	713	9	75,248	119
36.	पश्चिम बंगाल	19,656	284	3,58,572	826

***इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संकलित कोविड-19 मौतें सम्मलिति हैं**